FORM |||

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

नीलसिंह वगै0 बनाम तहसीलदार

क़स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मु. नं. 244 सन् 2021 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
021	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक **23.07.2021** को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	23/7/2021 वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की तामील या अदम तामील नोटिस नहीं लौटा है। इन्तजार तामील पत्रावली दि0 5/8/2021 को पेश हो।	
	05/08/21 पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी बावजूद तामील अनु0। अत: अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली में बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 18/08/21 को पेश हो।	
18/08/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम भराला पटवार हल्का महाचा के जमाबन्दी सम्वत 2075–78 भूमि	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

खसरा नम्बर 219 रकबा 0.05 है0 किस्म गै. मु. चाह की खातेदारी प्रार्थीगण एवं उनके भाई शेरसिंह पुत्र भगवान सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर के पुराने खसरा नम्बर 1988 जमाबन्दी सम्वत 2056–59 के नक्शा ट्रेस में कूप (कुआ) का निशान अंकित हैं, परन्तु दौराने सेटलमेन्ट नवीन नक्शा ट्रेस तैयार करते समय वर्तमान खसरा नम्बर 219 के नक्शा ट्रेस में कूप का निशान अंकित नहीं किया गया हैं। जिसे प्रार्थीगण को विधुत कनेक्शन लेने में परेशानी हो रही हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 219 के नक्शा ट्रेस में कूप का निशान अंकित कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हल्का पटवारी रिपोर्ट 24.02.2021, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस, नये खसरा नम्बर 219 एवं पुराने खसरा नम्बर 1988 की प्रति तथा मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां प्रस्तुत की

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1988 जमाबन्दी सम्वत 2056–59 के नक्शा ट्रेस में कूप का निशान अंकित हैं। प्रार्थीगण का कथन कि दौराने सेटलमेन्ट नये भूमि खसरा नम्बर 219 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में कूप का निशान अंकित होने से छूट गया हैं की पुष्ठि हल्का पटवारी रिपोर्ट 24.02.2021, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस, नये खसरा नम्बर 219 एवं पुराने खसरा नम्बर 1988 की प्रति तथा मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भराला पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खसरा नम्बर 219 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के नक्शा ट्रेस में मुताबिक नक्शा ट्रेस भूमि खसरा नम्बर 1988 जमाबन्दी सम्वत 2056–59 के अनुसार कूप (कुआ) का निशान अंकित कर नक्शा दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)